राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 70 / 2025

जीसीएमएस संख्याः 2025 / 146

निर्णय दिनांकः 08.08.2025

दायर दिनांकः 01.05.2025

1. सुगरा धर्मपत्नी छोटू खां रंगरेज निवासिनी ग्राम मंगलवासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू ....प्रार्थिनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू ....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थिनी ग्राम मंगलवासी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का स्थायी निवासी है। प्रार्थिनी की खातेदारी खेत वाके रोही ग्राम जीली तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 112 खेत खसरा नम्बर 47 तादादी 11.4943 है0 व खाता संख्या 352 खसरा नम्बर 169 तादादी 2.6554 है0, ख0नं0 210 तादादी 4.8683 है0 व खाता संख्या 353 ख0नं0 369 तादादी 20.6113 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिनी का नाम सुधा पत्नी छोटूखां दर्ज है, जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थिनी का सही नाम सुगरा पत्नी छोटू खां है। अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थिनी का सही नाम राज कुमार यादव पुत्र हुकमा राम अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थिनी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

उप खण्ड़ अधिकारी
सुजानगढ़

प्रश्नगत खेत रोही गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दस्तोवजों यथा आधारकार्ड, पैनकार्ड आदि में प्रार्थिनी का सही नाम सुगरा पत्नी छोटू खां अंकित है जबकि जमाबन्दी में सुधा पत्नी छोटू खां अंकित है जो अशुद्ध है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सुधा पत्नी छोटूखां की बजाय सुगरा पत्नी छोटू खां दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में प्रार्थिनी का नाम सुगरा पत्नी छोटू खां है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तह सीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थना–पत्र प्रार्थिनी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही ग्राम जीली तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 112 खेत खसरा नम्बर 47 तादादी 11.4943 है0 व खाता संख्या 352 खसरा नम्बर 169 तादादी 2.6554 है0, ख0नं0 210 तादादी 4.8683 है0 व खाता संख्या 353 ख0नं0 369 तादादी 20.6113 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार का नाम सुधा पत्नी छोटूखां के स्थान पर सुगरा पत्नी छोटू खां दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को टंकित करवाया जाकर सरे आम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़